

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
29.1.18	वकूलाय उप।/ अर्थात् नं. 4 बखजूद सूचा उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीप कार्रवाई की जाती है अर्थात् नं. 1 सा. 3 के रजि. 10 नोटिस तलवा पेश करे। काले तलवी रजि. 8-3-18 को पेश हो।
8.3.18	वादी वकील उप।/ गतानुसार तलवी काने रजि. 3.4.18 को पेश हो।
3.4.18	वादी वकील उप।/ अर्थात् नं. 1 सा. 3 के रजि. 10 नोटिस तलवाता 7 दिन में पेश करे। दिनांक 2.5.18 को पेश हो।
2.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिवर... में पेश हुई। आईन्दा दिनांक 2.2.18 को पेश हो।
22.5.18	पत्रावली पेश हुई।/ अर्थात् वकील उपस्थित नहीं। कर्ष बा. आवाज दिलवाई गई। फिर भी अर्थात् वकील एवं अर्थात् मे से कोर्ट भी उपस्थित नहीं है अतः यह अर्थात् अस्थाई निषेधाज्ञा अदम टाजिरी एवं अदम पौरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ सैलज रहे।